



**प्रेस विज्ञप्ति**

**16/01/2025**

प्रवर्तन निदेशालय, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड और अन्य** के खिलाफ चल रहे बैंक धोखाधड़ी केस के संबंध में 10/11.01.2025 को अहमदाबाद और गांधीनगर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, दो हाई एंड मर्सिडीज-मेक लग्जरी कारों को जब्त किया गया और 37 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिनमें 33.67 करोड़ रुपये (लगभग) का बैंक बैलेंस था।

ईडी की इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों मुकेश भंडारी, शैलेश भंडारी और अन्य के खिलाफ जांच सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर बैंक को 631.97 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, 30.06.2014 तक फाइनेल अपराध की आय 81.97 करोड़ रुपये पाई गई।

मुकेश भंडारी और शैलेश भंडारी दोनों की जांच ईडी, अहमदाबाद द्वारा इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों से संबंधित 02 समान बैंक धोखाधड़ी मामलों में भी की जा रही है। एक मामले में, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण लिए और 388.23 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान में चूक की। ईडी द्वारा पहले 179 करोड़ रुपये की कुर्की की गई थी, और विद्वान ट्रायल कोर्ट में अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी।